दिनांकः 06.01.2015

अर्हता तिथि 01.01.2015 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरान्त अंतिम प्रकाशन समस्त पदाभिहित स्थलों पर दिनांक 05.01.2015 को किया गया।

———मुख्य निर्वाचन अधिकारी

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 01—01—2015 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 15.10.2014 से 20.11.2014 तक प्रदेश के समस्त 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी पदाभिहित स्थलों पर निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन करते हुए दावे और आपत्तियां प्राप्त की गयी। इस पुनरीक्षण अवधि में नामों की पुनरावृत्तियों के डी—डुप्लीकेशन एवं नामावली में विद्यमान त्रुटियों को दूर करने सम्बन्धी कार्य के निष्पादन हेतु बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा घर—घर मतदाताओं का सत्यापन का कार्य भी किया गया।
- पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश में कुल 33,97,152 मतदाताओं के नाम जोड़े गए है, जिसमें से 11,84,594 मतदाता 18—19 आयु वर्ग के हैं जो कुल परिवर्धनों का 34.87% है।
- इस पुनरीक्षण में कुल 17,29,829 मतदाताओं के नाम अपमार्जित किये गये जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध वृद्धि 16,67,323 मतदाताओं की हुई। इस प्रकार प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 13,87,89,231 से बढ़कर 14,04,56,554 हो गयी है।
- प्रदेश के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले कुल 1,40,259 पोलिंग स्टेशनों पर इस संक्षिप्त पुनरीक्षण में 34.35 लाख फार्म—6 (नाम शामिल कराने हेतु), 18.25 लाख फार्म—7 (नाम हटाने एवं

आपत्तियों के लिए) तथा 12.08 लाख फार्म–8 (त्रुटियों के संशोधनों के लिए) प्राप्त हुए।

- इस संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ईपी रेशियो (मतदाताओं की संख्या का जनसंख्या से अनुपात) 64.34 से बढ़कर वर्तमान में 65.11 हो गया है तथा महिला मतदाताओं का अनुपात महिलाओं की जनसंख्या के सापेक्ष आलेख्य प्रकाशन के समय 61.24% था, जो वर्तमान में 62% हो गया है। इसी प्रकार जेण्डर रेशियो (लिंग अनुपात) आलेख्य प्रकाशन के समय 828 था जो अब बढ़कर 829 हो गया है।
- फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में उपलब्ध फोटो की संख्या एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र की संख्या भी व्यावहारिक रूप से शत–प्रतिशत हो गयी है।
- सम्प्रति पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश के समस्त जनपदों में बूथ लेविल अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कराते हुए डी–डुप्लीकेशन एवं नामावलियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर करने के विशेष प्रयास कराये गये हैं, सम्पूर्ण प्रदेश में पुनरावृत्ति हुई समान प्रविष्टियों के सत्यापन की कार्यवाही बूथ लेविल अधिकारियों के माध्यम से करायी गयी है और इस कार्यवाही का सतत पर्यवेक्षण भी कराया गया है।
- इस कार्यवाही के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में कुल 4,69,307 पुनरावृत्ति हुए नामों का विलोपन किया गया है। प्रदेश में कुल 5,53,778 मृतक मतदाताओं के नामों का भी विलोपन किया गया है तथा 7,53,340 शिफ्टेड मतदाताओं के सम्बन्ध में भी समुचित कार्यवाही की गयी है। जिससे मतदाता सूची की शुद्धता के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त सम्प्रति विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में त्रुटियों का फार्म–8 के माध्यम से 11,64,703 मतदाताओं की विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का संशोधन भी किया गया है।